



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239352
CG-DL-E-06102022-239352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4453]
No. 4453]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4661(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 के कि.मी. 31.500 से 38.500 (रायरंगपुर बाईपास) तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची
उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-220 के कि.मी. 31.500 से 38.500 (रायरंगपुर बाईपास) पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	तहसीलदार, रायरंगपुर ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH220 के कि.मी. 31.5 से 38.5 तक	उड़ीसा	मयूरभंज	रायरंगपुर	1	पटेपनि
						2	पुरुनापानी
						3	राणिपाल
						4	सिजुकला
						5	चितैबाडी
						6	चंपरेई
						7	हलदा
						8	नदीआपसी
						9	भंजसार
						10	सनबाईकला
						11	नुआगांव
						12	गोपालबंध
						13	भालूबसा
						14	नागभान

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2022

S.O. 4661(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 31.500 to 38.500 (Rairangpur Bypass) of National Highway No-220 in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 220 from Km. 31.500 to 38.500 (Rairangpur Bypass) in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Tahasildar, Rairangpur ()	31.5KM To 38.5KM	ODISHA	MAYURBHANJ	Rairangpur	1	Patepani
						2	Purunapani
						3	Ranipal
						4	Sijukala
						5	Chitaibadi
						6	Champrei
						7	Halda
						8	Nadiapasi
						9	Bhanjasara
						10	Sanbaikala
						11	Nuagaon
						12	Gopalbandha
						13	Bhalubasa
						14	Nagbhan

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director